रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 453] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 13, 1972/आश्विन 21, 1894
No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 13, 1972/ASVINA 21, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October 1972

S.O. 656(E).—Whereas the President has by notification published in the Gazette of India, on the 13th October, 1972, called upon the elected members of the Legislative Assembly of Jammu & Kashmir State to elect a member to the Council of States;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 39 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby appoints with respect to the said election,—

(a) the 20th October, 1972, (Friday), as the last date for making nominations;

(b) the 21st October, 1972, (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;

(c) the 23rd October, 1972, (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 30th October, 1972, (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 3rd November, 1972, (Friday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 318/J&K/72(1).]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1972

एस० ओ० 656 (अ).—यतः, भारत के राजपत्र में तारीख 13 अक्तूबर, 1972 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से राज्य सभा के लिए एक सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा की है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के बारे में:—

(क)	नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	20 अक्तूबर, 1972 (शुक्रवार) ;
(ख)	नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	21 अक्तूबर, 1972 (शनिवार) ;
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	23 अक्तूबर, 1972 (सोमवार) ;
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	30 अक्तूबर, 1972 (सोमवार); तथा
(ङ)	वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	3 नवम्बर, 1972 (शुक्रवार) ;

एतद्द्वारा नियत करता है ।

[सं० 318/ज०क०/72(1)]

S.O. 657(E).—In exercise of the powers conferred by section 56 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 4.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 13th October, 1972.

[No. 318/J&K/72(2).]

एस० ओ० 657 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख 13 अक्तूबर, 1972 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा ।

[सं० 318/ज० क०/72(2)]

S.O. 658(E).—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Jammu & Kashmir State, hereby designates the Deputy Commissioner, Srinagar, as the Returning Officer for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 13th October, 1972.

[No. 318/J&K/72(3).]

एस० ओ० 658 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के परामर्श से, भारत के राजपत्र में तारीख 13 अक्तूबर, 1972 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में, राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए उपायुक्त, श्रीनगर को रिटर्निंग आफिसर के रुप में एतद्द्वारा पदाभिहित करता है ।

[सं० 318/ज०क०/72(3)]

S.O. 659(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the Deputy Secretary, Jammu & Kashmir Legislative Assembly, Srinagar to assist the Returning Officer for the biennial election to the Council of States to be held in pursuance of the President's notification published in the Gazette of India on the 13th October, 1972.

[No. 318/J&K/72(4).]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

एस० ओ० 659(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, भारत के राजपत्र में तारीख 13 अक्तूबर 1972 को प्रकाशित राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर की सहायता करने के लिए उप सचिव, जम्मू-कश्मीर विधान सभा, श्रीनगर को एतद्द्वारा नियुक्त करता है

[सं० 318/ज० क०/72(4)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1972